आदेश का सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख

17.05.2018

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, पूर्णिया

सी0सी0ए0 वाद संख्या-03/2018

अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के अंतर्गत

राज्य बनाम अपराधकर्मी मो0 मसिक

आदेश

अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी अपराधकर्मी अनुपस्थित। प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के **पत्रांक-1183/सी0आर0, दि0-11.04.2018** के द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में अपराधकर्मी **मो0 मसिक उर्फ मसिकुर रहमान उर्फ मोहिया, पिता-मो0 इशाक, सा0-चकवा, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया** के विरूद्ध अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 के तहत निरूद्ध करने के संबंध में प्रारंभ की गई है।

पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के प्रतिवेदन में वर्णित है कि कुख्यात अपराधकर्मी **मो0 मसिक उर्फ मसिकुर रहमान उर्फ मोहिया, पिता-मो0 इशाक, सा0-चकवा, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया** एक पेशेवर आदतन एवं कुख्यात अपराधकर्मी है। जो एक संगठित गिरोह का सदस्य है। जो डकैती/आर्म्स एक्ट जैसे कांडों में आरोपित रहा है। उक्त अपराधकर्मी वर्त्तमान में जमानत पर मुक्त है। अगर इनकी गतिविधियों पर नियंत्रण नहीं किया गया तो इनके द्वारा लोक शांति भंग की जा सकती है।

इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-

1. सदर थाना कांड संख्या-320/2014 दिनांक-27.06.2014, धारा-25(1-B)(A/26/35 Arms Act आरोप-पत्र सं0-162/2014 दिनांक 08.07.2014
2. सदर थाना कांड संख्या-319/2014 दिनांक-27.06.2014, धारा-393 IPC आरोप-पत्र सं0-207/2014 दिनांक 23.08.2014
3. बायसी थाना कांड संख्या-07/2017 दिनांक-14.01.2017, धारा-395 भा0द0वि0, आरोप-पत्र सं0-139 दिनांक 22.05.2017

विपक्षी द्वारा दिनांक 14.05.2018 को कारणपृच्छा समर्पित किया गया है, जो अभिलेखबद्ध है। कारणपृच्छा में मुख्य रूप से कहा गया है कि दर्ज प्राथमिकी गलत है तथा साजिस के तहत् फसाया गया है।

Scanned by CamScanner

विपक्षी का अपराधिक गतिविधियों से संबंध नहीं है। कारणपुच्छा में यह भी वर्णित है कि विगत पंचायत चुनाव 2016 में विपक्षी की पत्नि मुखिया पद की उम्मीदवार थीं, जो मात्र 62 मतों से पराजित हुई थी। पंचायत निर्वाचन में ग्रामीण राजनीति के कारण विपक्षी को फसाया गया है। विपक्षी द्वारा कार्यवाही समाप्त करने का अनुरोध किया गया है।

विपक्षी के आपराधिक घटनाओं के विश्लेषण के आधार पर मै संतुष्ट हूँ कि बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 2(डी)(1) के अंतर्गत ये ''असामाजिक तत्व'' है तथा इनकी गतिविधि एवं कार्य आम जनता के जीवन एवं सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए खतरनाक है। ऐसे तथ्य उपलब्ध है जिससे विश्वास होता है कि ये ऐसे कार्य में लिप्त है या लिप्त हो सकते है, जो भारतीय दंड विधान 1861 के अध्याय XVI या अध्याय XVII के अंतर्गत दंडनीय अपराध है, जिन पर नियंत्रण करना प्रशासनिक एवं जनहित में नितांत आवश्यक है। तद्नुसार विपक्षी द्वारा समर्पित कारणपृच्छा अस्वीकृत किया जाता है। अतएव उल्लेखित तथ्यों के आधार पर **मो0 मसिक उर्फ मसिकुर रहमान उर्फ मोहिया, पिता-मो0 इशाक, सा0-चकवा, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया** को बायसी, डगरूआ एवं पूर्णिया सदर थाना क्षेत्र से तड़ीपार करते हुए बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा-3 की उप धारा-3 के अंतर्गत आदेश निर्गत होने के छः माह पूर्ण होने तक **पत्येक मंगलवार एवं गुरूवार को थाना-भवानीपुर में** पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 दिन के बीच उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश दिया जाता है।

थानाध्यक्ष, भवानीपुर को निदेश दिया जाता है कि वे अपने थाना में अपराधकर्मी **मो0 मसिक उर्फ मसिकुर रहमान उर्फ मोहिया, पिता-मो0 इशाक, सा0-चकवा, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया** के लिए एक उपस्थिति पंजी खोलकर उसमें प्रत्येक निर्धारित दिवस में उक्त अपराधकर्मी का उपस्थिति दर्ज करवायेंगें तथा साप्ताहिक प्रतिवेदन पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया को भेजना सुनिश्चित करेगें।

मो0 मसिक उर्फ मसिकुर रहमान उर्फ मोहिया, पिता-मो0 इशाक, सा0-चकवा, थाना-डगरूआ, जिला-पूर्णिया को इस आदेश की प्रति तामिला कराने एवं अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु थानाध्यक्ष, अमौर को भेजें।

Scanned by CamScanner

आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के माध्यम से थानाध्यक्ष, भवानीपुर एवं डगरूआ को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, पूर्णिया जिला को प्रेषित करें।

आदेश की प्रति जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया को भेजें।

30.5.18

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

लेखापित एवं संशोधित

30.5.18

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 1797 / विधि दि० 31.5.18

प्रतिलिपि थानाध्यक्ष भवानीपुर एवं डगरूवा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्णियाँ जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी पूर्णियाँ / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि पुलिस अधीक्षक पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ।

31/5/18

वरीय उपसमाहर्ता
जिला विधि शाखा
पूर्णियाँ

30/5/18

Scanned by CamScanner